भारतीय खाद्य निगम के व्यय में वृद्धि

66. **श्री रणजीत सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रशासनिक, रखरखाव पारगम्यता, भंडारण आदि मदों पर किये जाने वाले व्यय की राशि में निरंतर वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में और चालू वित्तीय वर्ष के दिसम्बर महीने तक उपरोक्त में से प्रत्येक शीर्ष पर अलग-अलग कितनी राशि खर्च की गयी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम को नष्ट होने वाले खाद्यान्नों के कारण भी प्रतिवर्ष हानि उठानी पड़ती है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि में निगम को कितनी राशि की हानि उठानी पड़ी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1988-89 से 1990-91 तक के वर्षों में केन्द्रीय खाते पर अपने विवरण परिचालनों की विभिन्न मदों पर किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

(करोड़ रुपयों में)

खर्च की मद	1988-89	1989-90	1990-91 (दिसम्बर, 1990 तक) अनुमानित
परिवहन	455.54	491.00	410.00
अनाज की हैंडलिंग	127.96	138.29	121.00
भण्डारण प्रभार	312.75	248.14	204.00
ब्याज प्रभार	195.82	241.57	392.00
हैंडलिंग में हानियां	106.01	77.19	60.00
प्रशासनिक प्रभार	179.72	143.44	126.00

(ग) भारतीय खाद्य निगम कोई खाद्यान्न नष्ट नहीं करता । तथापि, मौसम, बाढ़ों आदि की अनिश्चितता के कारण कौर/ढके हुए भण्डारण स्थानों में रखा गया स्टाक कभी कभी प्रभावित हो जाता है, जोकि क्षतिग्रस्त हो जाता है और बाद में उसका पशुचारे, मुर्गी दाने आदि के रूप में निपटान करना अपेक्षित हो जाता है । तथापि, इसमें से मामूली मात्रा को फैंक देना पड़ता है ताकि और अधिक संदूषण को रोका जा सके।

(घ) 1988-89 और 1989-90 के दो वर्षों के दौरान कुल 12,337 मीटरी टन खाद्यान्न फैंक दिए गए थे, जोकि कुल कारोबार का 0.018% बैठते हैं।

गेहूं के मूल्यों में वृद्धि

67. **श्री बलराम सिंह यादव** :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और इसके आस पास के क्षेत्रों में पिछले दिनों में खुले बाजार में गेहूं के मूल्यों में अचानक भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इन दिनों में उत्तरी क्षेत्र के खुले बाजार में गेहूं का अधिकतम मूल्य कितना था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने रियायती दरों पर गेहूं की आपूर्ति किए जाने का अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या क्या हैं ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी हां, 30.1.1991, 6.2.1991 और 13.2.1991 को दिल्ली तथा उत्तरी क्षेत्र में अन्य चने हुए केन्द्रों पर गेहूं के थोक और खुदरा मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ) बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम के गेहूं की मांग रोलर फ्लोर मिलों, डबल रोटी विनिर्माताओं तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अभिकरणों (जैसे सुपर बाजार, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, केन्द्रीय भंडार, नागरिक आपूर्ति निगम) ने की है । खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता में सुधार लाने तथा मूल्यों पर एक संयतकारी प्रभाव डालने के लिए भारतीय खाद्य निगम को विभिन्न राज्यों में इस्तेमाल करने वाले विभिन्न वर्गों को, जिनमें रोलर फ्लोर मिलें, आटा चक्कियां, व्यापारी केन्द्रीय भंडार, सुपर बाजार, दिल्ली का नागरिक आपूर्ति निगम, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ शामिल हैं, जनवरी तथा फरवरी 1991 में हर माह 5 लाख मी० टन गेहूं की बिक्री करने की अनुमति दी गई है ।

विवरण

गेहूं के थोक और खुदरा मूल्य

केन्द्र	थोक मूल्य (रु० प्रति क्विंटल)			खुदरा मूल्य (रु० प्रति कि० ग्रा०)		
	30.1 1991	6.2 1991	13.2 1991	30.1 1991	6.2 1991	13.2 1991
दिल्ली	345	362	345	3.30	3.30	3.30*
मंडी	270	300	300	3.00	3.20	3.20
कानपुर	330	345	350	3.60	3.70	3.70
लखनऊ	325	335	350	3.50	3.60	3.75
हिसार	320	350	उ.न.	3.40	3.80	उ.न.
अमृतसर	उ.न.	320	320	उ.न.	3.60	3.45

उ०न०-उपलब्ध नहीं ।

*भारतीय खाद्य निगम द्वारा सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार, नागरिक आपूर्ति निगम, दिल्ली, तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के जरिए गेहूं की बिक्री करने और साथ ही आटा चक्कियों, रोलर फ्लोर मिलों और डबल रोटी विनिर्माताओं को 320 रु० प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं बेचने के कारण इसे कम किया गया है ।